ing the terms and conditions of allotment of Nursery School is enclosed as Annexure 'A' laid on the Table of the House. (Placed in Library. See No. LT. 7723/84).

(e) The plot is reported to be already levelled. The Mission has not yet taken any action for construction of school building because possession of playground is yet to be taken over by them. The site inspection also reveals that there is no misuse on the plot.

(f) After handing over possession of playground area, the Society will be asked to complete the school building immediately.

## Housing Projects Approved by H.U.D.C.O.

403. SHRI LAKSHMAN MALLICK : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Housing and Urban Development Corporation has approved 114 new housing projects at a cost of Rs. 72.75 crores and agreed to grant loan assistance of Rs. 46.68 crores to them ; and

(b) if so, the details regarding its allocation, State-wise ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF SPORTS, IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND IN THE DEPARIMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes, Sir.

(b) The details regarding State-wise allocation is given in the statement attached. (See Col. 317-318).

## दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान में लम्बित जांच और लेखा प्रतिवेदन

404. श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली

जल प्रदाय और मल ब्ययन संस्थान में 1967-68 से 31 दिसम्बर, 1983 तक की अवधि के कितने जाच प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा सम्बन्धी आप-त्तियां लम्वित पड़ी हैं तथा उन्हें अभी तक न निपटाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम अपना प्रति-वेदन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत नहीं करता और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भविष्य में दिल्ली नगर निगम, जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली विद्युत सप्लाई संस्थान के प्रतिवेदन संसद मे रखे जायेंगे?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 1967-68 से 31-12-1983 तक की अवधि के लिए लम्बित पड़ी लेखा परीक्षा आपत्तियों की सख्या 3059 है। प्रतिवर्ष नये निरीक्षण किये जाते है और लम्बित पड़े पैरों को पुराने लम्बित पड़ी आपत्तियों में शामिल किया जाता है जबकि पुराने पैरों को निपटाया जाता है। तथापि, लम्बित पैरों को निपटाने के लिये गम्भीर प्रयास किए जा रहे है। अनुस्म।रक जारी किये जा रहे है।

दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि नगरपालिका मुख्य लेखा परीक्षक से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार 31-12-83 तक 1967-68 से 1982-83 की अवधि की 362 निरीक्षण रिपोर्टें तथा 102 लेखा परीक्षा टिप्पणियां लम्बित पड़ी हैं। ये निरीक्षण रिपोर्टें तथा लेखा परीक्षा टिप्पणियां इसलिये लम्बित पड़ी है क्योंकि लेखा परीक्षा विभाग को उत्तर भेजने से पहले मूल रिपोर्टों की जांच की जानी है।

(ख) दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 206 (5) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जानी